कार्यालय, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी॰टी॰नगर, भोपाल

कमांक / प्रशासन / भंडार / आविभो / 371 / 2026 भोपाल, दिनांक 24 / 09 / 2026

Tender Document
Technical-Cum-Commercial Bid

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी. नगर भोपाल में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण सांची स्तूप, उदयगिरी देखने हेतु 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था दिनांक 07 / 10 / 2026, 08 / 10 / 2026, 09 / 10 / 2026, 10 / 10 / 2026 एवं 11 / 10 / 2026 तक प्रतिदिवस 05 से 06 बसे बस व्यवस्था हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

2. यह आमंत्रण ऐसे ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए खुला है, जिनके पास इस क्षेत्र में निम्नतम 03 वर्ष का अनुभव है। एवं वर्तमान में शासकीय / व्यवसायिक उपक्रम में गाडी सप्लायी कार्य किया जा रहा हो।

3. कोटेशन में उल्लेखित निम्नतम दर 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था ट्रेवल्स एजेंसी / व्यक्ति के चयन के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है। ऐसी फर्मों द्वारा प्रस्तुत कोटेशन जिनके पास 03 वर्ष का अनुभव अथवा उपलब्ध बसों में आरटीओं द्वारा निर्धारित बस सुविधाऐं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं उनकी कोटेशन दरें अस्वीकार कर दी जावेगी।

4. 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों / व्यक्ति निर्धारित टेन्डर फार्म दिनांक 25 / 09 / 2026 से 01 / 10 / 2026 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 12:00 से 03:00. बजे तक प्रति फार्म 500 / – की दर पर प्राप्त करना होगा। तद्परांत दिनांक 03 / 10 / 2026 को समिति द्वारा संबंधित दरें प्रदायकर्ता ट्रेवल्स एजेंसियों पर 52 सीटर नॉन एसी बस का अवलोकन किया जावेगा। तद्परात प्रस्तावित दरें दिनांक 05 / 10 / 2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक विद्यालय में प्रदान करना होंगी।

5. शैक्षणिक भ्रमण हेतु 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु भौतिक रूप से ट्रेवल्स हेतु प्रदान की जाने वाली बसों का समिति द्वारा परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।

6. ट्रेवल्स एजेंसियों को छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण दौरान बसों में ऐसे ड्राईवर / कंडक्टर भेजने होंगे। जिनके पास 05 वर्षों का बडे वाहन बस चलाने का अनुभव हों। एवं लायसेंस संबंधी दस्तावेज वैद्य हों।

7. उपरोक्तानुसार 52 सीटर नॉन एसी लग्जरी बस व्यवस्था हेतु ट्रेवल्स एजेंसी / व्यक्ति से प्राप्त प्रस्तावित दरें दिनांक 05 / 10 / 2026 को अपरान्ह 04:30 बजे सार्वजनिक रूप से विद्यालय प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य महोदया, समिति सदस्यों एवं संबंधित ट्रेवल्स एजेंसियों / व्यक्तियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।

8. उपरोंक्त कार्य व्यवस्था में दायित्वों/निर्देशों का समयसीमा में निर्वहन न किए जाने पर उपरोक्त व्यवस्थां समाप्ति का प्राचार्य को विशेषाधिकार होगा।

उपप्राचार्य प्राचार्य